

PROGRAMME OF CULTURAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
HIS MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
FOR THE YEARS 2025-2030

The Government of the Republic of India and His Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereafter referred to as 'Participant' and collectively referred to as the 'Participants';

INSPIRED by their mutual desire to strengthen and enhance the friendly relations between their two countries, deepen mutual understanding of their people, and promote cultural cooperation and exchanges;

RECOGNISING that previous agreements in this space between the two countries have been successful and have strengthened UK-India cultural relationships;

DESIROUS to continue promoting better mutual understanding in the cultural fields,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I. Objectives

- a. to facilitate mutual understanding and support between the peoples of the two countries in the field of arts and culture;
- b. to strengthen and support the diasporic relationship between the two countries in the field of culture, working with diaspora communities and marginalised communities to amplify the cultural links that already exist and to share values for social inclusion, especially including young people and emerging arts sectors for cultural exchange.

II. Areas of Cooperation

enhancing cooperation and exchange between the Participants in the cultural fields, including but not limited to museums, heritage, film, theatre and performing arts, festivals, crafts, music, literature, publishing and translation, visual arts, design, archives and libraries in the following areas ;

1. Digital Technologies

nurturing and supporting museums, archives, libraries, and galleries with the digitisation of collections and supporting information-sharing initiatives; recognising

the benefits and opportunities of new digital technologies, exploring new digital collaborations for the promotion, research, and preservation of culture, endeavouring to encourage such joint projects that will improve understanding of the capabilities of digital to promote culture, and working together to fill gaps in the global digital culture offering;

2. Exhibitions and Collections

- (a) jointly encourage such joint projects and displays that will improve museum and library management, curatorial expertise, marketing strategies, communications and media relations, audience outreach and other associated international best practices;
- (b) Endeavour to provide technical support and share expertise with each other on core museum and library activities such as curation, conservation, collections and storage management including new digital technologies and online collections;

3. Performances and Events

Endeavour to encourage arts and cultural events in the territory of both countries to include works and performances from artists of the other country into their respective programmes including special events and exchange programmes; and the short-term loan of heritage artefacts, particularly during major international cultural events in both countries; and the facilitation of linkages between event organisers and the appropriate cultural authorities in their respective countries;

4. Cultural Property

- (a) endeavour to cooperate with each other in the protection of their respective cultural heritage by encouraging the cooperation and exchange of expertise among national conservation institutions, and supporting organisations with conservation skills;
- (b) reiterating commitments made to strengthen the fight against illicit trafficking of cultural property, to enable the return of illicitly trafficked cultural property as relevant, and call for sustained dialogue and action in that endeavour, with a view to strengthen cultural diplomacy and intercultural exchanges, consistent with national law and relevant UNESCO Conventions;

5. Sustainability

Promoting sustainability in the cultural arena in the face of global climate change and together support multilateral efforts in this area, as well as strengthening action for the safeguarding and promotion of the world's cultural diversity embedded in cultural heritage in all its forms;

III. Other areas

And any other areas of cooperation that the participants will agree as appropriate.

IV. Implementation

- a. For the implementation of this Programme of Cultural Cooperation the Participants will designate:

- i. For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: the British Council Division, High Commission in New Delhi as the main implementing body, with support from the Department for Culture, Media and Sport
 - ii. For the Republic of India Ministry of Culture and Cultural Centre in Indian Mission in UK
- b. Both Parties will implement the areas of cooperation through the following means:
- i. reciprocal exchange of officials and experts in various cultural fields;
 - ii. facilitating training programmes, workshops and seminars for and/or exchange programmes for cultural sector professionals and artists from both parties;
 - iii. through organisations listed under 'organisations';
 - iv. any other means agreed by the two parties.

V. Organisations

On behalf of the United Kingdom, organisations and institutions may further explore collaborations with Indian national institutions represented by the Ministry of Culture, Government of India as appropriate. These may include but not be limited to concerned Bodies/ organisations of the UK Department for Culture, Media and Sport such as :

Arts Council England
British Library
British Museum
Natural History Museum
Science Museum Group
Victoria and Albert Museum

Additionally, other organisations may continue to work to explore cooperation in the field of culture with their counterparts on the other side through networks, partnerships and collaboration.

The British Council will also continue to work with the devolved administrations in Wales, Scotland and Northern Ireland on cultural connections with India.

VI. Dispute

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Programme of Cultural Cooperation shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Participants through diplomatic channels.

VII. Amendment

This Programme of Cultural Cooperation may be amended at any time by mutual written consent of the participants. Any such amendments will form an integral part of this Programme of Cultural Cooperation.

VIII. Effect, duration and termination

- a. This Programme of Cultural Cooperation will come into effect on the date of its signing and will continue in effect for a period of five years and may be renewed for another period of five years by written consent of the participants.
- b. Either participant may terminate this Programme of Cultural Cooperation at any time by giving to the other participant written notification through diplomatic channels of its intention to terminate this Programme of Cultural Cooperation six months prior to the intended date of its termination.
- c. The termination of this Programme of Cultural Cooperation will not affect the completion of ongoing programmes or projects under the Programme of Cultural Cooperation, unless jointly decided otherwise by the participants.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Programme of Cultural Cooperation

Signed in New Delhi on Friday 2nd May 2025 in two originals in Hindi and English languages, with both texts being equally authentic. In the event of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**



**Name: Gajendra Singh Shekhawat
Designation: Minister of Culture**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND**



**Name: Lisa Nandy
Designation: Secretary of State for
Culture, Media and Sport**

वर्ष 2025-2030 के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महामहिम सरकार

के बीच

सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महामहिम सरकार, जिसे इसके पश्चात 'प्रतिभागी' और सामूहिक रूप से 'प्रतिभागी' कहा जाएगा;

दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ और सशक्त करने, अपने लोगों की आपसी समझ को गहन करने और सांस्कृतिक सहयोग और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की उनकी पारस्परिक इच्छा से प्रेरित होकर;

यह स्वीकार करते हुए कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पिछले समझौते सफल रहे हैं और इनसे यूके-भारत के सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं;

सांस्कृतिक क्षेत्रों में बेहतर परस्पर समझ को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए,

निम्नानुसार सहमति हुई है:

I. उद्देश्य

(क) कला और संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाना;

(ख) संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच प्रवासी संबंधों को सुदृढ़ करना और समर्थन देना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के लिए विशेष रूप से युवा लोगों और उभरते कला क्षेत्रों सहित पहले से मौजूद सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने और सामाजिक समावेशन के लिए मूल्यों को साझा करने के लिए प्रवासी समुदायों और हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ कार्य करना।

II. सहयोग के क्षेत्र

सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रतिभागियों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ाना जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में संग्रहालय, विरासत, फिल्म, रंगमंच और मंच कला, महोत्सव, शिल्प, संगीत, साहित्य, प्रकाशन और अनुवाद, दृश्य कला, डिजाइन, अभिलेखागार और पुस्तकालय जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, शामिल हैं;

1. डिजिटल प्रौद्योगिकी

संग्रहों के डिजिटलीकरण के साथ संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और दीर्घाओं का रखरखाव और उनकी सहायता करना तथा सूचना-साझाकरण पहलों का समर्थन करना; नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लाभों और अवसरों को पहचानना, संस्कृति के संवर्धन, शोध कार्य और परिरक्षण के लिए नए डिजिटल सहयोग कार्यों की खोज करना, ऐसी संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्षमताओं की समझ में सुधार लाएंगे, और वैश्विक डिजिटल संस्कृति की प्रस्तुति में विद्यमान अंतराल को भरने के लिए मिलकर काम करना;

2. प्रदर्शनियां और संग्रह

(क) ऐसी संयुक्त परियोजनाओं और प्रदर्शनों को मिलकर प्रोत्साहित करना जो संग्रहालय और पुस्तकालय प्रबंधन, संरक्षकीय विशेषज्ञता, विपणन कार्यनीतियों, संचार और मीडिया संबंधों, दर्शकों की पहुंच और अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं में सुधार लाएंगे;

(ख) नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन संग्रहों सहित क्यूरेशन, संरक्षण, संग्रह और भंडार प्रबंधन जैसे प्रमुख संग्रहालय तथा पुस्तकालय कार्यकलापों के संबंध में एक-दूसरे के साथ तकनीकी सहयोग करने के साथ-साथ विशेषज्ञता साझा करने का प्रयास करना;

3. प्रदर्शन और कार्यक्रम

दोनों देशों में कार्यकलापों में कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना ताकि विशेष कार्यक्रमों और आदान-प्रदान कार्यक्रमों सहित अपने-अपने कार्यक्रमों में दूसरे देश के कलाकारों की उपलब्धियों और प्रदर्शनों को शामिल किया जा सके, विशेष रूप से दोनों देशों में प्रमुख अंतराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान तथा विरासत कलाकृतियों को अल्पकालिक ऋण के रूप में दिया जा सके, तथा कार्यक्रम आयोजकों और अपने-अपने देशों में संबंधित सांस्कृतिक प्राधिकारियों के बीच संपर्क को सुगम बनाना;

4. सांस्कृतिक संपत्ति

- (क) राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके तथा संरक्षण कौशल वाले संगठनों को सहायता प्रदान करके अपनी-अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने का प्रयास करना;
- (ख) सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के विरुद्ध लड़ाई को सुदृढ़ करने, अवैध रूप से तस्करी की गई यथा प्रासंगिक सांस्कृतिक संपत्ति को वापस लाने के लिए की गई प्रतिबद्धताओं को दोहराना, तथा राष्ट्रीय कानून और संबंधित यूनेस्को कंवेन्शनों के अनुरूप सांस्कृतिक कूटनीति और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के साथ उस प्रयास में निरंतर संवाद और कार्रवाई का आह्वान करना;

5. स्थिरता

वैश्विक जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए सांस्कृतिक क्षेत्र में अनवरत सक्रियता को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में बहुपक्षीय प्रयासों का एक साथ मिलकर समर्थन करना, साथ ही सभी रूपों में सांस्कृतिक विरासत में निहित विश्व की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्रवाई को सुदृढ़ करना;

III. अन्य क्षेत्र

तथा सहयोग के अन्य क्षेत्र जिन पर प्रतिभागी उपयुक्त समझते हुए सहमत होंगे।

IV. कार्यान्वयन

- (क). सांस्कृतिक सहयोग के इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिभागी निम्नलिखित को नामोद्दिष्ट करेंगे:
- ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की ओर से: संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग के सहयोग से नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल डिवीजन, उच्चायोग मुख्य कार्यान्वयन निकाय के रूप में,
 - भारत गणराज्य की ओर से संस्कृति मंत्रालय और यूके स्थित भारतीय मिशन का सांस्कृतिक केंद्र
- (ख). दोनों पक्ष निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग कार्यों को कार्यान्वित करेंगे:
- विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के पदाधिकारियों और विशेषज्ञों का पारस्परिक आदान-प्रदान;

- ii. दोनों पक्षों के सांस्कृतिक क्षेत्र के पेशेवरों और कलाकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों तथा/या आदान-प्रदान कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना;
- iii. 'संगठन' के अंतर्गत सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से;
- iv. दोनों पक्षों द्वारा सहमत कोई अन्य माध्यम।

V. संगठन

यूनाइटेड किंगडम की ओर से संगठन और संस्थाएँ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले यथा उपयुक्त भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार कर सकती हैं। यूके संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग के संबंधित निकायों/संगठनों की निम्नलिखित इकाइयां शामिल हो सकती हैं तथापि ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड
ब्रिटिश लाइब्रेरी
ब्रिटिश संग्रहालय
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय
विज्ञान संग्रहालय समूह
विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय

इसके अतिरिक्त, अन्य संगठन नेटवर्क, साझेदारी और सहयोग के माध्यम से दूसरे पक्ष के अपने समकक्षों के साथ संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं खोजने के लिए कार्य करना जारी रख सकते हैं।

ब्रिटिश काउंसिल भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों पर वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के न्यायगत प्रशासनों के साथ भी कार्य जारी रखेगी।

VI. विवाद

इस पीओसी की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद को राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच परामर्श या बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

VII संशोधन

सांस्कृतिक सहयोग के इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों की आपसी लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी संशोधन सांस्कृतिक सहयोग के इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग होगा।

VIII प्रभाव, अवधि और समाप्ति

- (क) यह सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा तथा पांच वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगा तथा प्रतिभागियों की लिखित सहमति से इसे पांच वर्षों की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- (ख) कोई भी प्रतिभागी सांस्कृतिक सहयोग के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इच्छित तिथि से छह महीने पहले राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे प्रतिभागी को अपने सांस्कृतिक सहयोग के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के इरादे की लिखित सूचना देकर किसी भी समय इसे समाप्त कर सकता है।
- (ग) जब तक कि प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से अन्यथा निर्णय न लिया जाए, इस सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम की समाप्ति से सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों या परियोजनाओं के पूरा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

2 मई, 2025 को नई दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



नाम: गजेन्द्र सिंह शेखावत
पदनाम: संस्कृति मंत्री

ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की
यूनाइटेड किंगडम सरकार की ओर से



नाम: लीज़ा नैडी
पदनाम: संस्कृति, मीडिया और खेलकूद
राज्य सचिव